दिनंाक 17.12.2019

- s अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझी
- s शव प्राप्त होने के 24 घंटे के भीतर ही आरोपी गिरफ्तार
- s फुफा ससुर ही निकला हत्यारा
- s अवैध संबंध बना हत्या का कारण

---00--

दिनंाक 16.12.2019 को थाना सिंघनपुरी जंगल के ग्राम केजेदाह जंगल में एक महिला की अज्ञात शव संदिग्ध अवस्था में प्राप्त हुआ। अज्ञात शव के संबंध में थाना सिंघनपुरी जंगल में सूचना प्राप्त होने पर तत्काल उक्त के संबंध में पुलिस अधीक्षक कबीरधाम को अवगत कराया। पुलिस अधीक्षक द्वारा श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक, दुर्ग रेंज, दुर्ग एवं श्रीमान उप पुलिस महानिरीक्षक राजनांदगांव को घटना के संबंध में अवगत कराने पश्चात मार्गदर्शन प्राप्त कर थाना प्रभारी को तत्काल मौके पर जाकर घटनास्थल निरीक्षण करने निर्देशित किया तथा पुलिस अधीक्षक कबीरधाम द्वारा स्वंय घटनास्थल जाकर मुआयना किया गया। घटनास्थल में प्राप्त महिला की शव काफी सडे-गले अवस्था में थी तथा शव काफी दिनों पुराना प्रतीत हो रहा था। घटनास्थल के आसपास क्षेत्र में बारिकी से खोजबीन करने पर कुछ दूरी पर एक बैग पड़ा हुआ मिला। उक्त बैग की तलाशी लेने पर उसमें साड़ी एवं अन्य दैनिक उपयोग की सामग्री प्राप्त हुई। जिससे यह प्रतीत हुआ कि उक्त बैग अज्ञात शव का हो सकता है।

अज्ञात महिला के शव के संबंध में थाना सिंघनपुरी जंगल में मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल कवर्धा लाया गया। शव काफी पुराना एवं क्षत-विक्षत अवस्था में होने से शव के पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कालेज राजनांदगांव भेजा गया। अज्ञात महिला की शव की पहचान के लिए घटनास्थल से प्राप्त सामग्री के आधार पर आसपास के क्षेत्रो में पतासाजी के लिए पुलिस अधीक्षक कबीरधाम के मार्गनिर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कबीरधाम के नेतृत्व में थाना प्रभारी सिंघनपुरी जंगल, थाना सहसपुर लोहारा एवं तकनीकी सेल की टीम गठित किया गया।

उक्त टीम के द्वारा अज्ञात महिला के शव के संबंध में जानकारी प्राप्त करने हेतु आसपास के ग्रामों मे अपने सूचना तंत्रो को सक्रिय किया गया तथा जिला के निकटतम थाना में दर्ज महिला गुम इंसान के संबंध में जानकारी प्राप्त किया गया। गठित टीम द्वारा घटनास्थल से प्राप्त कपड़े एवं अन्य सामग्री के आधार पर संबंधित दुकान के संबंध में पुछताछ किया जा रहा था, कि इसी दौरान टीम को जानकारी प्राप्त हुआ कि ग्राम आमगांव थाना सहसपुर लोहारा निवासी सरोज रजक काफी दिनों से अपने घर में नहीं है, उसके परिवारजन उसे काफी दिनों से पता तलाश कर रहे हैं, कि उक्त जानकारी के आधार पर गठित टीम द्वारा सरोज रजक के संबंध में जानकारी एकत्र किया गया। प्राप्त जानकारी के आधार पर सरोज रजक ग्राम आमगांव से विवाह कर ग्राम झुरानदी थाना छुईखदान जिला राजनांदगांव गई है। जो अपने ससुराल में विवाद होकर करीब माह भर से अपने मायके ग्राम

आमगांव मे रह रही थी। तकनीकी टीम द्वारा सरोज रजक के मोबाईल नंबर की जानकारी प्राप्त कर विश्लेषण किया गया। जिस पर रामकुमार रजक की भूमिका संदिग्ध प्रतीत हुआ तब रामकुमार रजक से पुछताछ किया गया। रामकुमार रजक द्वारा बताया गया कि सरोज रजक रिश्ते में मेरी बहू लगती है तथा उसका ससुराल और उसका घर पास में ही है, कि विगत 03-04 माह पूर्व से हम दोनो एक-दूसरे को पसंद करने लगे और इसी बीच हम दोनो के मध्य शारीरिक संबंध बना, करीब माह भर पूर्व सरोज अपने ससुराल से विवाद होकर अपने मायके ग्राम आमगांव आ गई थी। सरोज के ग्राम आमगांव आने के बाद दिनांक 02.12.2019 को सरोज द्वारा इसे लोहारा आने बोलने पर यह लोहारा आया। रामकुमार रजक के लोहारा पहूंचने पर सरोज आमगांव रोड चौक लोहारा थाना के सामने अपने हाथ में एक बैग रखकर खड़ी हुई थी। जिस पर रामकुमार रजक द्वारा अपने मोटर सायकल में सरोज को बैठाकर पण्डरीपानी कुआपारा जंगल पहूंचकर मोटरसायकल को रोड किनारे खड़ी कर रोड से 100 मीटर अंदर जंगल में सरोज को ले गया। जंगल अंदर रामकुमार रजक द्वारा अपने साथ गण्डई अंग्रेजी शराब दुकान से खरीदा हुआ गोवा अंग्रेजी शराब को पिया तथा सरोज को भी पिलाया। इसके बाद शारीरिक संबंध बनाने के बाद सरोज द्वारा रामकुमार रजक को पत्नी बनाकर रखने एवं साथ में जाने की बात को लेकर विवाद करने लगी। इसी दौरान रामकुमार रजक द्वारा अपने गमछे से सरोज का गला घोंठ दिया गया और सरोज को मरा जानकर वहॉ से चला गया। रामकुमार रजक से प्राप्त जानकारी तथा घटनास्थल एवं तकनीकी टीम से प्राप्त साक्ष्य के आधार पर घटना की पुष्टि होने पर रामकुमार रजक द्वारा मृतिका सरोज रजक की दिनंाक 02.12.2019 को जंगल अंदर गमछे से गला घोटकर हत्या करना पाये जाने से अपराध धारा 302,201 भादवि के तहत् गिरफ्तार किया गया।

प्रकरण को सुलझाने में गठित टीम थाना प्रभारी सिंघनपुरी जंगल एवं थाना सहसपुर लोहारा एवं तकनीकी टीम की सराहनीय भुमिका रही।